



**THE  
JHARKHAND GAZETTE  
EXTRAORDINARY  
PUBLISHED BY AUTHORITY**

---

**No. 806**

**30 Shrawan, 1940(S)**

---

**Ranchi, Tuesday, 21<sup>st</sup> August, 2018**

---

**COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

-----

**Notification  
21<sup>st</sup> August, 2018**

**Notification No. 34/2018 – State Tax**

**S.O. No. 60 Dated. 21<sup>st</sup> August, 2018--** In exercise of the powers conferred by section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in FORM GSTR-3B of the said rules for each of the months from July, 2018 to March, 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

**2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.**– Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case maybe, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

3. This notification shall be deemed to be effective from 10<sup>th</sup> August 2018.

[File.NoVaKar / GST / 03/ 2018]  
By the order of the Governor of Jharkhand,

**K. K. Khandelwal,**  
Additional Chief Secretary.

-----

## वाणिज्य-कर विभाग

-----  
अधिसूचना

21 अगस्त, 2018

अधिसूचना सं०. 34/2018- राज्य कर

एस. ओ. सं. 60 दिनांक 21 अगस्त, 2018-- आयुक्त, झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी, उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3 बी में ऐसे मास के उतरवर्ती मास के बीसवें दिन या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी ।

2. प्ररूप जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय : - प्ररूप जीएसटीआर-3 बी में विवरणी प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम तारीख के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी को फाईल करने की अपेक्षा की जाती है, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से रोकड़ खाता या इलेक्ट्रॉनिक उधार खाता के विकलन करते हुए जैसा कि प्रथम पैरा में विनिर्दिष्ट है, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा ।

3. यह अधिसूचना 10 अगस्त, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/03/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

अपर मुख्य सचिव ।